पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 322/2024

अनवान :

1. अमरसिह पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी मरीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रमिला पुत्री शंकरलाल पत्नी सुशील जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. पुष्पा पुत्री शंकरलाल पत्नी मनसाराम जाति मेघवाल निवासी 9 डी डबल्यू एम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. मूर्ति पुत्री शंकरलाल पत्नी प्रेम जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. लीलावती पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सुशील कुमार पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सिलोचना पुत्री शंकरलाल पत्नी राजू जाति मेघवाल निवासी 9 डी डबल्यू एम रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. सीमा पुत्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवक्ता श्री महेश कुमार गौड़ :–वादी

2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा :–प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 28/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश कुमार गौड़ व श्री सुनील शर्मा वकील प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने [illegible] वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के [illegible] मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकन0 4 आर डबल्यू बी के [illegible] संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 34/64 में संयुक्त खाता मे दर्ज कुल 1.923 [illegible] आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 प्रत्येक के 1/48 हिस्सा आराजी तथा चकन0 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 51/31 में कुल 5.870 है0 आराजी में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:21:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

प्रत्येक के 991/46960 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 4 आर डबल्यू बी के खाता सं0 34/64 तथा चकन0 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 51/31 में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:21:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner